संख्या-6/2025/001-269-12-5002-002-2-2024

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत संचालित स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान योजना के अन्तर्गत संचालित जैविक खेती कार्यक्रम तथा परम्परागत कृषि विकास योजना हेतु राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या-भू०सं०/बाढ़ो0यो0/नमामि गंगे-PKVY/703/2024-25, दिनांक 12.02.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8908-नेशनल मिशन आन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना हेतु रू० 881.53 लाख तथा लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8907-नेशनल मिशन आन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना हेतु रू० 377.80 लाख अर्थात अवमुक्त केन्द्रांश के संगत राज्यांश की कुल धनराशि रू० 1259.33 लाख (रूपये बारह करोड़ उनसठ लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।
4. इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.02.2025 एवं अन्य सुसंगत दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।
5. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।
6. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसका उत्तरदायित्व आपका होगा। अब तक शासन द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
9. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. कृषि निदेशक उ0प्र0 जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलबध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।
12. स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशो/प्राविधानों के अनुसार कोषागार से आहरित कर योजना के S.N.A. एकाउन्ट में रखे जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उक्त शासनादेश दिनांक 04.03.2024 सहित संगत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन धनराशि का व्यय करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2402001028907 (नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	27 सब्सिडी	2,34,24,000 (रुपये दो करोड़ चौंतीस लाख चौबीस हजार मात्र)
2	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	42 अन्य व्यय	1,25,65,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख पैंसठ हजार मात्र)
3	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15,11,000 (रुपये पन्द्रह लाख ग्यारह हजार मात्र)
4	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,80,000 (रुपये दो लाख अस्सी हजार मात्र)
	कुल			**3,77,80,000** **(रुपये तीन करोड़ सतहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2402001028908 (नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	27 सब्सिडी	5,11,29,000 (रुपये पाँच करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार मात्र)
2	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	42 अन्य व्यय	3,02,23,000 (रुपये तीन करोड़ दो लाख तेईस हजार मात्र)
3	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	61,71,000 (रुपये इकसठ लाख इकहत्तर हजार मात्र)
4	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6,30,000 (रुपये छह लाख तीस हजार मात्र)
	कुल			**8,81,53,000** **(रुपये आठ करोड़ इक्यासी लाख तिरेपन हजार मात्र)**

महायोग	12,59,33,000 (रुपये बारह करोड़ उनसठ लाख तैंतीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-381-X-2024-25, दिनांक 03-03-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-6/2025/001-269-12-5002-002-2-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग/समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9. अपर कृषि निदेशक, (सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
10. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।